संख्या - 5726/ III(2)/18–23(एम०एल०ए०)/2017टी०सी०II

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 29 नवम्बर, 2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–डोईवाला के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे०का०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 04 कार्यों के आगणनों, जिनकी लम्बाई 10.30 किमी० तथा कुल लागत रू0 **50.87** लाख है, पर **विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 50.87 लाख (रू0 पचास लाख सत्तासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु प्रति कार्य रू0 0.10 लाख अर्थात 04 कार्यों हेतु रू0 0.40 लाख (रू0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किये जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सडक निर्माण कार्य–04–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर--0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-482/XXVII/(2)/2018 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या- 5726 /III(2)/18-23(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0II तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

Scanned by CamScanner

शा0 संख्या–5726/III(2)/18–23(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0II दिनांक 29 नवम्बर, 2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्याः– 106/2017 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–डोईवाला के अन्तर्गत तमोलीगढ़ वडेरना कला, बडेरना खुर्द, बडेरना मजला से कोटला, नाहींकला, नाही खुर्द तथा सतेली गैरवाल तक मार्ग निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	34.08	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्याः– 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एंव फुटपाथ का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	13.80	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्याः– 02/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–डोईवाला के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय को मालदेवता मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.500	1.15	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्याः– 17/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–डोईवाला में खाती से मणिवाई मन्दिर तक सड़क का चौडीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	0.800	1.84	0.10
	कुल	10.30	50.87	0.40

(कुल रू0 चालीस हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

Photocopy Attest

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

Scanned by CamScanner